झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग।

आदेश

आदेश संख्या –7/वि0–2368 /2013– **23** /रॉची, दिनांक– **20/01/2014**

PWD Code की कंडिका 292 (XVI) (ii), 294 (XII), 293 (XVII) एवं 292 (XX) में प्रावधान के आलोक में दिए गए नियमन को स्पष्ट करने तथा जलापूर्त्ति योजनाओं के क्रियान्वयन एवं सुचारू संचालन हेतु निम्नवत् निर्णय लिया जाता है –

(1) **Time of Extension :–**

PWD Code की कंडिका 292 (XVI) (ii) के अनुसार समय–वृद्धि की अधिसीमा निर्धारित की गयी है जो निम्न रूपेण है :–

Executive Engineer	**Superintending Engineer**	**Chief Engineer**
No Power	No Power	Full Power except in case of those entered into by higher authority. Extension of Time (EOT) –in contracts approved by the Chief Engineer- Full Powers where extension of time (EoT) required is up to 25% of the time period defined in the contract. Engineer-in-Chief shall be competent for grant of EoT for period beyond 25% & up to 50%. Matters beyond 50% shall be referred to a Committee headed by departmental Secretary whose other members would be EIC. Internal Financial Advisor & the concerned Chief Engineer.

उपरोक्त कण्डिका में यह स्पष्ट नहीं है कि वैसी निविदायें जिसका निष्पादन कार्यपालक अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता द्वारा किया जाता है उसमें समय वृद्धि किस स्तर से दिया जाय। इस संबंध में स्पष्ट किया गया कि ऐसे सभी मामलों में समय वृद्धि देने की शक्ति क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता को ही प्रदत्त हैं।

1.1 Time of Extension की स्वीकृति का आधार निम्नलिखित कारण मान्य होगा :–

a) Land availability में विलम्ब।

b) NOC में विलम्ब। (RCD/NH/Forest, Railway etc.)

c) विद्युत संयोजन में विलम्ब।

d) Excise exemption मिलने में विलम्ब।

e) Blasting permission मिलने में विलम्ब।

f) राशि के अभाव में भुगतान में विलम्ब।

1.2 Time of Extension की स्वीकृति के निम्न कारण मान्य नहीं होगा :–

a) बीमारी।

b) विधि व्यवस्था।

c) मजदूरों का अभाव।

d) बालू/सिमेंट/छड़ आदि का अभाव।

1.3 Time of extension के कारणों के सत्यापन की व्यक्तिगत जिम्मेवारी संबंधित कार्यपालक अभियन्ता की होगी।

1.4 उक्त कंडिका (1.1) में विलम्ब अवधि या जो आवश्यक हो (दोनों में से कम) का Time of extension देय होगा।

(2) **Approval of Claim and other excess over Agreement-**

PWD Code की कंडिका 294 (XII), 293 (XVII) एवं 292 (XX) के अनुसार क्रमशः कार्यपालक अभियंता, अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता को Approval of excess beyond agreement की अधिसीमा निर्धारित की गयी है जो निम्न रूपेण है :–

Executive Engineer	Superintending Engineer	Chief Engineer
Max. Up to 10% beyond agreement amount which will be inclusive of claim or due to supplementary agreement, Subject to permissible limit of administrative approval.	Max. Up to 15% beyond agreement amount which will be inclusive of claim or due to supplementary agreement, Subject to permissible limit of administrative approval.	Max. Up to 25% beyond agreement amount which will be inclusive of claim or due to supplementary agreement, Subject to permissible limit of administrative approval.

2.1 उक्त कण्डिकाओं में Claim अनुमोदन की अधिसीमा को अलग से परिभाषित नहीं किया गया है। Claim में वैसे मदों को सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया जो एकरारनामा के अंतर्गत आच्छादित नहीं हो एवं जिनका दर भी एकरारनामा में नहीं हो एवं वे मद योजना को पूरा करने के लिये आवश्यक हो। इस संबंध में अन्य निम्न निर्णय लिया गयाः–

2.1.1 अधीक्षण अभियन्ता से निम्न स्तर के पदाधिकारी Claim का अनुमोदन नहीं करेगे। अधीक्षण अभियन्ता एकरानामा से 15% तक की बढोत्तरी राशि जिसमें Quantity variation भी सम्मिलित हो, तक का ही Claim अनुमोदन करेगें। किन्तु यह सीमा उनके तकनीकी स्वीकृति की राशि तक ही सीमित रहेगी। एकरारनामा से सभी प्रकार की बढ़ोत्तरी इसी सीमा तक अनुमान्य होगी।

2.1.2 मुख्य अभियन्ता द्वारा एकरारनामा से 25% अधिक तक की राशि जिसमें Quantity variation भी सम्मिलित हो, का Claim अनुमोदन किया जाएगा। एकरारनामा से सभी प्रकार की बढ़ोत्तरी इसी सीमा तक अनुमान्य होगी।

2.1.3 25% से अधिक की बढ़ोत्तरी होने पर विभाग के अनुमोदन के उपरान्त अनूपूरक एकरारनामा कर कार्य का निष्पादन किया जाएगा।

2.1.4 एकरारनामा से बाहर के मदों का Supplementary Agreement के तहत निष्पादन किया जाएगा।

2.1.5 मूल प्राक्कलन से 20% तक की बढ़ोत्तरी के लिए पुनरीक्षित प्राक्कलन के स्थान पर Deviation Statement के आधार पर तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जायगी।

इसके अधीन निम्न तीनों मदों को सम्मलित किया जायगा –

a) New Item

b) Excess Quantity

c) Price adjustment

सूचना उपलब्ध कराया जाएगा। अधीक्षण अभियंता द्वारा किसी अन्य परियोजना में इन सामग्रियों की आवश्यकता होने पर इसके भुगतान के आधार पर स्थानान्तरण सुनिश्चित किया जाएगा।

(v) सभी पाईप जलापूर्ति योजनाऐं जो कि Turnkey Basis के आधार पर क्रियान्वित की जा रही है, में यांत्रिक एवं विद्युत संबंधित कार्यो की जिम्मेवारी कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक) की होगी। कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक) के द्वारा सत्यापन के उपरांत ही भुगतान की कार्रवाई की जायेगी। इन योजनाओं में विद्युत संयोजन संबंधी सभी कार्य भी कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक) के द्वारा ही किया जायेगी।

उपरोक्त प्रावधानों एवं निर्देशों को तत्काल प्रभाव से लागू समझा जाय एवं अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

ह0/–
(सुधीर प्रसाद)
अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक– 308 /रॉची, दिनांक– 20/1/14

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के आप्त सचिव/विभागीय अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख के आप्त सचिव/मुख्य अभियंता (मु0/सी0डी0ओ0/पी0एम0यू0)/क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, रॉची एवं दुमका प्रक्षेत्र/अधीक्षण अभियंता (यो0)/संयुक्त सचिव (प्र0को0)/मुख्य अभियंता (मु0) के प्रावैधिक सचिव/सभी अधीक्षण अभियंता (यांत्रिक सहित)/सभी कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक सहित)/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रषित।

17/1/14

(उमेश मेहता)
संयुक्त सचिव(प्र0को0)।